□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 2743
06 □□□, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न □□ □त्त□

□□□-□□□□ □□□ों □ो □□□ब्ध□□

2743. श्र□□□□ □□□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार □ल□□□ □त्र्री□ यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों और ग्रामीण अस्पतालों म कोट जहर और जानवरों के काटने के रोगियों के इलाज हेतु विष-रोधी टीके/दवाएं प्रदान करने के लिए कोई नीति तैयार को है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहों, तो इसके क्या कारण ह;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विष-रोधी और एंटीबॉयॉटिक्स टीकों को अनुपलब्धता के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मौत दज को गई ह; और

(घ) इस संबंध म सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए ह/किए जाने का प्रस्ताव है?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ॰ हर्ष वधन)

(क), (ख) और (ग): "सावजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल" राज्य का विषय है। प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों और ग्रामीण अस्पतालों सहित सावजनिक स्वास्थ्य कद्रों म एंटी-वेनम इंजेक्शन/औषधियों को उपलब्धता को सुनिश्चित करने को प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार को होती है।

हालांकि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) के तहत, कद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनको स्वास्थ्य परिचया वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीको सहायता प्रदान करती है। इसम राष्ट्रीय मुफ्त औषधि सेवा पहल के अंतगत जिला अस्तपतालों तक सावजनिक स्वास्थ्य सुविधा कद्रों म आने वालों को एंटी-वेनम और रेबीज टीके सहित आवश्यक औषधियों के लिए निःशुल्क सहायता शामिल है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतगत राज्य को आवश्यक औषधियों को सूची म एंटी स्नेक वेनम सिरम(एएसवीएस) को शामिल करने और जरूरतमंद व्यक्तियों के प्रयोग के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को आपूर्ति के लिए इन औषधियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने, के लिए और उन्ह सहायता प्रदान करने के दिशानिदश भी जारी किए ह।

सरकार ने भारत के औषधि महानियंत्रक को राज्यों के नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) उत्पादन करने वाली फामास्यूटिकल फर्मों को मॉनीटर करने के निदश जारी किए ह।

रेबीज वैक्सीन विनिमाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निदश जारी किए गए थे कि एआरवी का विनिमाण पूरी क्षमता के साथ किया जाए और पहली प्राथमिकता देश म सरकारी संस्थानगत आपूर्तियों सहित घरेलू आवश्यकता को पूरा करने को दी जाए।

(घ): एंटी-वेनम और एंटी-रेबीज टीकों को अनुपलब्धता के कारण बताई गई मौतों को संख्या से संबंधित ब्यौरे को कद्रीय स्तर पर नहों रखा जाता है।

******